कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2328 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 22 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड,शासन।

वन अनुभाग–3

विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा डुंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/8718/2014

सन्दर्भ– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–1051/X-4-15/1(531)/2015 दिनांक 02–11–2015 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धाान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1540/12–1 दिनांक 20.02.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है : –

बि.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आव यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/सरंक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अपने पत्रांक 1540/12–1 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवगत कराया गया है प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है० सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आव यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रुपये 7,40,996.00 (सात लाख चालीस हजार नौ सौ छियानब्बे) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न है **(संलग्नक–2)** तथा आरक्षित/सरंक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **6,19,144 (छः लाख उन्नीस हजार एक सौ चवालीस) मात्र** कैम्पा कोश में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.–566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 9,60,863 (नौ लाख साठ हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र की धनराशि कैम्पा कोश में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढोत्तरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रुपये 5,09,257.00 (पांच लाख नौ हजार दो सौ सत्तावन) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–4)**
5	भारत सरकार पत्र सं. 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.–एस. बी.–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सभी निधियों का भुगतान (क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्शो तक रख–रखाव, स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्शो तक रख रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रुपये 28,30,260.00 (अट्ठाईस लाख तीस हजार दो सौ साठ) मात्र का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। **(संलग्नक–1 व 4 के अनुसार)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, गढवाल रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आव यक अभिलेखों/ प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–5)**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के तहत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहे।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2328 / दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिदेशक(के0), भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड निर्माण विभाग, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1540 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, फरवरी 20 ,2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा डुंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/8718/2014

सन्दर्भ :– **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1051/X-4-15/1(531)/2015 दिनांक 02.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 2485 / 12–1(2) दिनॉक 10.02.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्ताव विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–365 / 16सी0 दिनांक 07.02.2025 से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की गई, जो निम्नवत है–

बि.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है॰ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / सरंक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 2485 / 12–1(2) दिनॉक 10.02.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है॰ सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रुपये 7,40,996.00 (सात लाख चालीस हजार नौ सौ छियानब्बे) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न है **(संलग्नक–2)** तथा आरक्षित / सरंक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **6,19,144 (छः लाख उन्नीस हजार एक सौ चवालीस) मात्र** कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई॰ए॰सं॰–566 एवं भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3 / 2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन॰पी॰वी॰ हेतु रुपये 9,60,863 (नौ लाख साठ हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)

स॰ अधि॰ (प्रभारी रु॰प्रयाग)
अ॰का॰ करें

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

प्र॰ व॰ सं॰/नो॰अधि॰
1-3-2025

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
3826
12-3-25

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन॰पी॰वी॰ की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत्त कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढोत्तरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रुपये 5,09,257.00 (पांच लाख नौ हजार दो सौ सत्तावन) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–4)
5	भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3/2007–एफ॰ सी॰ दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन॰पी॰वी॰ तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं॰–एस॰ बी॰–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी॰जी॰ओ॰ काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन॰पी॰वी॰ क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सभी निधियों का भुगतान (क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षों तक रख–रखाव, स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रख रखाव व एन॰पी॰वी॰ की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रुपये 28,30,260.00 (अट्ठाईस लाख तीस हजार दो सौ साठ) मात्र का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक–1 व 4 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। (संलग्नक–5)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 1540 / 12-1 दिनॉक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

पंजीकृत

ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2485 / 12-1(2) दिनांक 10 / 02 / 2025::

सेवा में

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा डुंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/8718/2014

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1051/X-4-15/1(531)/2015 दिनांक 02.11.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार / बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-365 / 16सी0 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है॰ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है॰ सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रुपये 7,40,996.00 (सात लाख चालीस हजार नौ सौ छियानब्बे) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक-1)** उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न है **(संलग्नक-2)** तथा आरक्षित / सरंक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। **(संलग्नक-3)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहितच करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **6,19,144 (छः लाख उन्नीस हजार एक सौ चवालीस) मात्र** कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई॰ए॰सं॰-566 एवं भारत सरकार पत्र सं॰ 5-3 / 2007-एफ॰सी॰ दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन॰पी॰वी॰ हेतु **रुपये 9,60,863 (नौ लाख साठ हजार आठ सौ तिरसठ) मात्र** की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन॰पी॰वी॰ की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढोत्तरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि **रुपये 5,09,257.00 (पांच लाख नौ हजार दो सौ सत्तावन) मात्र** कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक-4)**

क्रमशः-2 पर

5	भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3 / 2007–एफ॰ सी॰ दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन॰पी॰वी॰ तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं॰–एस॰ बी॰–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी॰जी॰ओ॰ काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन॰पी॰वी॰ क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सभी निधियों का भुगतान (क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षों तक रख–रखाव, स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रख रखाव व एन॰पी॰वी॰ की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उपरोक्तानुसार कुल धनराशि **रुपये 28,30,260.00 (अट्ठाईस लाख तीस हजार दो सौ साठ) मात्र** का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। **(संलग्नक–1 व 4 के अनुसार)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–5)**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

<u>संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (तीन सत्यापित प्रतियों में)</u>

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

5565
12-1
17/2/25

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 365 / 16सी - दिनांक 07/02/2025

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/8718/2015 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा डूंगरी चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1051/X-4-15/1(531)/2015 दिनाक 02.11.2015 एवं आपका पत्र संख्या 2476/12–1(2) दिनांक 27.01.2023 एवं आपका पत्र संख्या 2369/12–1(2) दिनांक 01.02.2025 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 2963/16सी दिनांकि 28.08.2018 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी हैं, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की <u>संशोधित</u> बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः उपलबध कराये जाने लिखा गया है–

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षोरापण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित /संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित 1.4625 हे0 भूमि के बदले दुगुनी भूमि 2.925 है0 के 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 7,40,996.00 मात्र की RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 1508911387182014281 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank के खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1) चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने से सम्बन्धित म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। (संलग्न– संलग्नक–2)। चयनित भूमि के सीमांकन हेतु पिलरों का निर्माण किया जा चुका है, प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण (पथ वृक्षारोपण) एवं इसके 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 6,19,144.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रू0 9,60,863.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक–1 के अनुसार)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0वी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में बढोत्तरी की धनराशि रू0 5,09,257.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक–4)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रू0 7,40,996.00 + 6,19,144.00 + 9,60,863.00 + 5,09,257.00 मात्र) = रू0 28,30,260.00 ऑन लाइन जमा की जा चुकी है। जिसका विवरण उक्तानुसार वर्णित है। तथा उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

	उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आसपार वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्याबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न हैं (संलग्नक–5)।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इंगित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्तानुसार शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 8 के अनुसार अनुपालन किया गया है/जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

06-02

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11345/2015) Construction of Ratangarh Thapla-Kanwal Motor Road Under State sector				Safety Zone: 0/- NPV: 1575158/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2911257/-	Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-		Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :22 Jan 2019 Transaction Date 12 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/711241229121297181Demandnote
FP/UK/ROAD/16066/2015 ../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16066/2015) Construction of Syal Dobha to Khal Khamol Motor road from Maniguh motor road	ROAD160662015827	6116066827	24 Jan 2018	CA: 423500/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 252945/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 676445/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :02 Aug 2018 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :22 Jan 2019 Transaction Date :12 Feb 2019	Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD16066201 Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11161251216ZE20QDemandnote.pdf)
FP/UK/ROAD/11055/2015 ../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015) Construction of Mamni-Urol Motor Road under State sectore	ROAD110552015796	6111055796	01 Dec 2017	CA: 1063994/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1379700/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2443694/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :09 Jan 2018 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :24 Jul 2018 Transaction Date :04 Aug 2018	Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1105520157 Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6114124912192MQ1ZDemandnoteNew2.pd
FP/UK/ROAD/10896/2015 ../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10896/2015) Construction of Ratanpur bend to Andnya-Khera-Ghangarkhal Motor Road	ROAD108962015248	6110896248	17 Jun 2016	CA: 955821/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1126755/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3106252/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- road side plantation : 1023676/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :13 Jun 2018 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Jul 2018 Transaction Date :20 Jul 2018	Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD108962015248) Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9112012221213RE7L7DemandnoteNew.pdf)
FP/UK/ROAD/8718/2014 ../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8718/2014) Chopra-Dungri-Chaspar Motor Road (State Sector)	ROAD87182014281	11387182014281	02 Nov 2015	CA: 740996/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 960863/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2321003/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- CA for ten year maintenance : 619144/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Sep 2017 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 May 2018 Transaction Date :13 Jun 2018	Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD87182014281)

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

(1)

(2)

:: आदेश ::

तहसीलदार रूद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या–949 / र.का.–क्षति.पू.बृ. / 2013–14 दिनांक 22 दिसम्बर 2015 जो उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ने अग्रसारित किया है, के द्वारा अवगत कराया है, कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.925 है0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित किया जाना है।

तहसीलदार रूद्रप्रयाग ने अपने उक्तांकित पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2015 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डुंगरी के नान0 जेड0ए0 खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि के खाता संख्या–15 के खसरा नं0–2302, 2303, 2304 एवं 2305 मध्ये **कुल रकवा 2.925 है0** भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या–2173 / XVIII (II) / 2012–18 (120) / 2010, राजस्व अनुभाग–2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(डा0 राघव लंगर),
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1425 / छब्बीस–एल0.ए0सी0 (2015–16) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जनवरी 13 2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
6– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, रूद्रप्रयाग।

Raghav
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

जं08/16

प्रेषक,

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संख्या– 1313 /र0का0– विविध / 2016 दिनांक रूद्रप्रयाग जुलाई 30 2016

विषय– वन भूमि पत्रावली संख्या एफ पी / यू0के / रोड / 8718 / 2014 चोपडा –डुंगरी –चापड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 1.4121 है0 का दुगुना क्षेत्रफल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1943 / 16 सी दिनांक 07.06. 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन /अमल दरामद की प्रति में कुल रकबा 2.925 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद किये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु उपरोक्त चारों खसरा नम्बरों का योग करने पर कुल रकबा 2.655 है0 हो रहा है।

उक्त के कम में राजस्व उप निरीक्षक चोपडा को स्पष्ट आख्या, उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया । राजस्व उप निरीक्षक चोपडा द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1425 / छब्बीस एल0ए0सी0 /2015–16 दिनांक रूद्रप्रयाग जनवरी 23,2016 के कम में चोपडा–डुगरी–चापड मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये सिविल सोयम भूमि ग्राम डुंगरी के नाम जेड ए खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के ख0खा0स0 15 के खसरा नम्बर 2302 रकबा 0.425 है0 खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.343 है0 खसरा नम्बर 2304 रकबा 1.321 है0 खसरा नम्बर 2305 मध्ये रकबा 0.836 है0 कुल रकबा 2.925 है0 चयनित भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चुकी है। जिसकी खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

पूर्व में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा तैयार नकल खतौनी में कलमी भूल से खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल गलत दर्ज हो गया था जिससे सही अमल दरामद सुदा खतौनी नकल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न – यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि सहायक /अभी०

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

R.K Letter

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

सेवा मे
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील रुद्रप्रयाग

महोदय
श्रीमान जी के संलग्न आदेश के क्रम मे दिनांक 26.[illegible]201
को प्रेषित आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के
आदेश संख्या 1425/ छब्बीस एल. ए. सी० 2015-16 दिनांक
रुद्रप्रयाग 23-2016 के क्रम मे चोपड़ा, डुंगरी, चोपड़ा के मोटर
मार्ग निर्माण के लिये क्षति पूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित
भूमि ग्राम डुंगरी के नाप० जेड० ए० की खतौनी की श्रेणी 1(1) खाता सं० 15 के खेत
अन्य कारणों से कब्जे भूमि के खसरा नं 2303 रकबा 0.3[illegible]
नं० 2302 रकबा 0.425 हे० खसरा नं 2305
खसरा नं० 2304 रकबा 1.321 हे० एवं रकबा 2.925 हे० चयनित
अर्थात रकबा 0.836 हे० कुल रकबा हो चुकी है
भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद आख्या तैयार करते
किन्तु वर्तमान में उक्त नम्बर खतौनी व खसरा नं 2303
समय खसरा नं० 2302 रकबा 0.587 हे० एवं खसरा
0.444 हे० खसरा नं० 2304 का रकबा 1.325 हे० कुल रकबा 2.925 हे०
नं० 2305 का रकबा 0.399 हे०
गया।
अब मैं खसरा नं० 2302 का रकबा 0.425 हे० 2303 का रकबा 1.321 हे० रकबा 2305 अर्थात
0.343 हे० 2304 का रकबा कुल रकबा 2.925 हे० जिसकी नकल खतौनी
0.836 हे० जांच आख्या के वन विभाग के नाम अमल
पुनः तैयार कर
दरामद हो चुका है
अतः जांच कर आख्या सेवा मे प्रेषित

संलग्न 4 वर्क

ह० अस्पष्ट
रा०उ०नि०
चोपड़ा
27/[illegible]/2016

फोटो प्रति सत्यापित
Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०खं०लो०नि०वि०

नकल खतौनी जमाबन्दी ग्राम डुंगरी पट्टी ... चोपड़ा
तहसील व जिला रुद्रप्रयाग
श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि

खतौनी क्रमांक	खातेदार या काबिज का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	खुर्द काश्त	खसरा नम्बर	क्षे० हे०	मालगुजारी	
15	भीटा		1146	0.802		आदेश मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1425/ छब्बीस एस.ए. सी० 2015-16 दिनांक रुद्रप्रयाग जनवरी 23, 2016 के क्रम से चोपड़ा डुंगरी, चोपड़ा के मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षति पूरक वृक्षारोपण के लिये सिविल सोयम भूमि ग्राम डुंगरी के नाम० जे०ए० हे० खतौनी की श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के खत० खाता सं० 15 के खसरा नं० 2302 रकबा 0.425 हे० खसरा नं० 2303 रकबा 0.343 हे० खसरा नं० 2304 रकबा 1.321 हे० एवं खसरा नं० 2305 मध्ये 0.836 हे० कुल रकबा 2.925 हे० चयनित भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद किया ह० पटवारी चोपड़ा 26-1-2016
			1147	0.034		
			1170	0.822		
			1208	0.815		
			1219	0.134		
			1239	0.014		
			से	से		
			2302	0.425		
			2303	0.343		
			2304	1.321		
			2305	0.855		
			2321	0.457		
			2322	0.385		
		योग	31	14.142		

नकल खतौनी मुताबिक असल से तैयार किया

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

[signature] रा० उ० नि० चोपड़ा 27/1/2016

(3)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा–डुंगरी–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–डुंगरी, श्रेणी 10(4)भीटा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–15 के खसरा संख्या–2302 रकवा–0.425 है0, खसरा संख्या–2303 रकवा–0.343 है0, खसरा संख्या–2304 रकवा–1.321 है0 तथा खसरा संख्या–2305 रकवा–0.855 है0 मध्ये–0.836 है0 कुल 2.925 है0 सिविल भूमि** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–1425/छब्बीस–एल0ए0सी0(2015–16) दिनांक 23 जनवरी 2016 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक– 1539 / 12-1 दिनांकित पौड़ी 20/02/ 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग** निर्माण हेतु **1.4625 है0** वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम **डुगरी के राजस्व भूमि 2.925 है0** क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है–

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकवा है0 में	अर्जित रकवा है0 में
1425 / छब्बीस एस.ए.सी.2015 दिनांक 23. 01.2016	श्रेणी 10(4) भीटा	15	2302 2303 2304 2305	0.425 0.343 1.321 0.855	0.425 0.343 1.321 0.836
	योग		**4**	**2.944**	**2.925**

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है0 में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम डूंगरी	2.925	4	60cm x 60cm x 75cm	30.327524 N 30.328292 N 30.327194 N 30.32982 N	79.060159 E 79.059568 E 79.059379 E 79.062554 E

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ....
तहसील ....
जिला-रूद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग
मुहर सहित

राम ...
तहसील ... रुद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार मयूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर

वन विभाग
मुहर सहित

प्रमाण पत्र

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/8718/2015 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा डूंगरी चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

प्रमाणित किया जाता है कि चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है ।

Addl. Assistant Engineer
P.D. P.W.D.
Rudraprayag

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

GPS Map Camera
Chopda, Uttarakhand, India
Shaheed Sunil Kandpal Motorway, Chopda, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327524° Long 79.060159°
07/02/2025 10:13 AM GMT +05:30

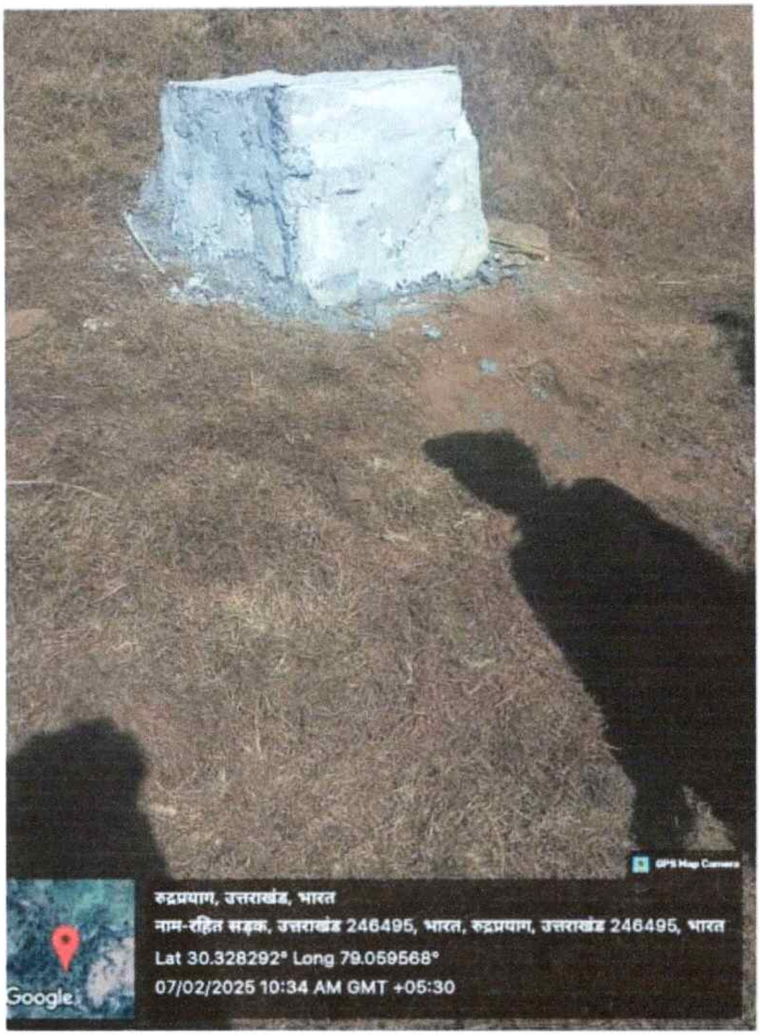
GPS Map Camera
रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, भारत
नाम-रहित सड़क, उत्तराखंड 246495, भारत, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.328292° Long 79.059568°
07/02/2025 10:34 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rudraprayag, Uttarakhand, India
, Uttarakhand 246495, India, Rudraprayag, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327194° Long 79.059379°
07/02/2025 10:01 AM GMT +05:30
Google

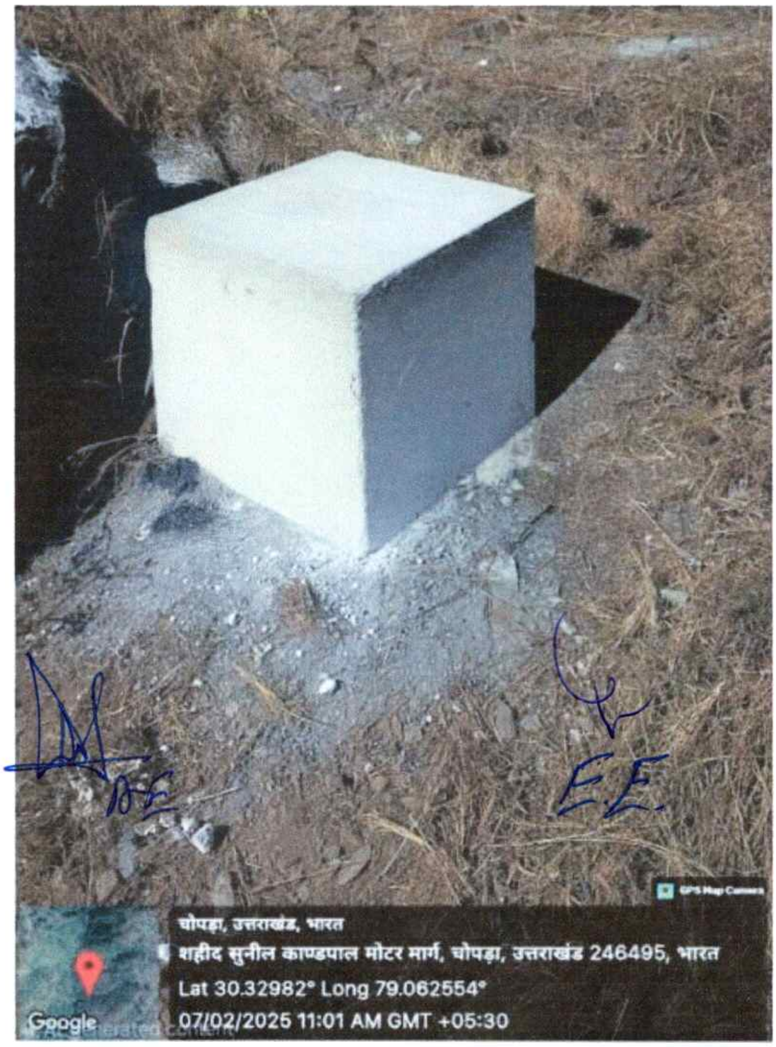
AE
E.E.
GPS Map Camera
चोपड़ा, उत्तराखंड, भारत
शहीद सुनील काण्डपाल मोटर मार्ग, चोपड़ा, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.32982° Long 79.062554°
07/02/2025 11:01 AM GMT +05:30
Google

		No (New)	PRINCIPAL...				
FP/UK/ROAD/10372/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10372/2015) [illegible]	ROAD103722015236	61103722[illegible]	[illegible] Jul 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2585465/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 2585465/-	Addl CA : 0/-, CAT : 0/-, Addl PA : 0/-, Other Charges : 0/-	Paid	Verified by Nodal Officer On :15 Mar 2023; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On :09 Jun 2023; Transaction Date :26 Jun 2023	(../writereaddata/Fundpdf/150320231[illegible]_FPUKROAD103722015_U[illegible] Fund Demande; Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD103722015236)
FP/UK/ROAD/10936/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10936/2015) Construction of Kutmun Pull to Uktna-Dhecha Motor Road	ROAD109362015565	6110936565	03 Nov 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 603477/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 603477/-	Addl CA : 0/-, CAT : 0/-, Addl PA : 0/-, Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On :09 Jun 2023; Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231745343506_FPUKROAD109362015_User_Fund_Dema; Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD109362015565)
FP/UK/ROAD/11825/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11825/2015) Construction of Chenagaad-Ghangnasu (Bangar) Motor Road under State sectore	ROAD118252015366	6111825366	08 Apr 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1269655/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 1269655/-	Addl CA : 0/-, CAT : 0/-, Addl PA : 0/-, Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On :09 Jun 2023; Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231746388967_FPUKROAD118252015_User_Fund_Dema; Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD118252015366)
FP/UK/ROAD/8718/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8718/2014) Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (State Sector)	ROAD87182014480	6187180480	02 Nov 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 509257/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 509257/-	Addl CA : 0/-, CAT : 0/-, Addl PA : 0/-, Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On :09 Jun 2023; Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231744221903_FPUKROAD87182014_User_Fund_Demande; Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD87182014480)
FP/UK/ROAD/9719/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9719/2015) construction of khuzir bend chowki basil & extension of khuzir bend chowki basil to tamind saterakhal	ROAD97192015432	6197190432	16 Apr 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 344728/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 344728/-	Addl CA : 0/-, CAT : 0/-, Addl PA : 0/-, Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :16 Mar 2023; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On :09 Jun 2023; Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150320231347225053_FPUKROAD97192015_User_Fund_Demande; Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD97192015432)

(4)

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– चोपडा
तहसील अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 1.4625 हे0** वन भूमि को लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुँग्री द्वारा दिनांक 03/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुँगरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि तथ्य सही है।

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

दि0 03/12/2014

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

दिनांक 03/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....डुंग्री.........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री हनुमन्त सिंह कुयेला	[signature]
2-	" विशाल सिंह कुयेला	Vishal Singh
3-	" रमेश चन्द्र	R Singh
4-	" भारत भूषण	भरत भूषण
5-	" अनुसूया सिंह	अनुसूया सिंह
6-	" हिम्मत सिंह	[signature]
7-	" लक्ष्मण सिंह	Lakshman
8-	" दिगपाल सिंह	दिगपाल
9-	श्रीमती यशोदा देवी	यशोदा देवी
10-	" उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
11-	" रजनी देवी	रजनी देवी
12-	" दीपा देवी	दीपा देवी
13-	श्री कमल सिंह	K Singh
14-	" राजेन्द्र सिंह	[signature]
15-	" तोता सिंह	तोता सिंह
16-	" विक्रम सिंह	[signature]
17-	" प्रकाश सिंह	[signature]
18-	" प्रेम सिंह	P Singh
19-	" लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
20-	" शूरवीर सिंह	[signature]
21-	" सत्य सिंह	Saty
22-	" हेमन्त कुयेला	हेमन्त

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संलग्न है

प्रधान ग्राम पंचायत डुंग्री
ह0 बलदेव लाल
ह0/दि0 3/12/2014
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) (0.0000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.4625 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक ____________ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ____________ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री चतरसिंह चौहान उपजिलाधिकारी —— रूद्रप्रयाग ———— अध्यक्ष
2– श्री ____________ उप प्रभागीय वनाधिकारी—— रूद्रप्रयाग ———— सदस्य
3– श्री ____________ सहायक समाज कल्याण अधिकारी– रूद्रप्रयाग —सदस्य / सचिव
4– श्री ____________ बी0डी0सी0 क्षेत्र – ____________ ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना हेतु, 1.4625 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु, लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 1.4625 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ____________
जनपद ____________

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 49 **Dated-----** 19-03-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.4625 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Chopra-Dungri-Chapar Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Temna, Pali,, Dungri, Semalsari** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav
(Dr. Raghav Langer) **Signature**
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०खं०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 19-03-2015 at time 2:00PM...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.4625 hect** for the Construction of **Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (2.775 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 19/03/2015

Raghav

(Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11345/2015) Construction of Ratangarh Thapla-Kurwal Motor Road under state sector				Safety Zone: 0/- NPV: 1575158/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2911253/-	Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-		Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :22 Jan 2019 Transaction Date : 12 Feb 2019	
FP/UK/ROAD/16066/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16066/2015) Construction of Sval Dobha to Khal Khamoli Motor road from Maniguh motor road	ROAD16066201582[illegible]	6116066827	04 Jan 2018	CA: 423580/- PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 252945/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 676445/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :02 Aug 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :22 Jan 2019 Transaction Date :12 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/711241229121297181Demandnote[illegible] Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD16066201[illegible]
FP/UK/ROAD/11055/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015) Construction of Mamni-Uroli Motor Road under State sectore	ROAD110552015796	6111055796	01 Dec 2017	CA: 1063994/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1379700/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2443694/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :09 Jan 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :24 Jul 2018 Transaction Date :04 Aug 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11161251216ZE20QDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD110552015[illegible]
FP/UK/ROAD/10896/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10896/2015) Construction of Ratanpur bend to Andrya-Khera-Ghangarkhal Motor Road	ROAD108962015248	6110896248	17 Jun 2016	CA: 955821/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1126755/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3106252/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- road side plantation : 1023676/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :13 Jun 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Jul 2018 Transaction Date :20 Jul 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6114124912192MQ1ZDemandnoteNew2.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD108962015248)
FP/UK/ROAD/8718/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8718/2014) Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (State Sector)	ROAD87182014281	11387182014281	02 Nov 2015	CA: 740996/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 960863/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2321003/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- CA for ten year maintenance : 619144/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Sep 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 May 2018 Transaction Date :13 Jun 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9112012221213RE7L7DemandnoteNew.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD87182014281)

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

(2)

:: आदेश ::

तहसीलदार रूद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या–949 / र.का.–क्षति.पू.बृ. / 2013–14 दिनांक 22 दिसम्बर 2015 जो उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ने अग्रसारित किया है, के द्वारा अवगत कराया है, कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.925 है0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित किया जाना है।

तहसीलदार रूद्रप्रयाग ने अपने उक्तांकित पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2015 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डुंगरी के नान0 जेड0ए0 खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि के खाता संख्या–15 के खसरा नं0–2302, 2303, 2304 एवं 2305 मध्ये **कुल रकवा 2.925 है0** भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या–2173 / XVIII (II) / 2012–18 (120) / 2010, राजस्व अनुभाग–2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(डा0 राघव लंगर),
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1425 / छब्बीस–एल0.ए0सी0 (2015–16) दिनांक, रूद्रप्रयाग, जनवरी 13 2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल, पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
6– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, रूद्रप्रयाग।

Raghav
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

जो0 8/16

प्रेषक,

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संख्या– 1313 / र0 का0– विविध / 2016 दिनांक रूद्रप्रयाग जुलाई 30 2016

विषय– वन भूमि पत्रावली संख्या एफ पी / यू0के / रोड / 8710 / 2014 चोपड़ा –डुंगरी –चापड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 1.4121 है0 का दुगुना क्षेत्रफल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1943 / 10 सी दिनांक 07.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन / अमल दरामद की प्रति में कुल रकबा 2.925 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद किये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु उपरोक्त चारों खसरा नम्बरों का योग करने पर कुल रकबा 2.655 है0 हो रहा है।

उक्त के कम में राजस्व उप निरीक्षक चोपड़ा को स्पष्ट आख्या, उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया । राजस्व उप निरीक्षक चोपड़ा द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1425 / छब्बीस एल0ए0सी0 / 2015–16 दिनांक रूद्रप्रयाग जनवरी 23.2016 के कम में चोपड़ा–डुंगरी–चापड मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये सिविल सोयम भूमि ग्राम डुंगरी के नाम जेड ए खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के ख0खा0सं0 15 के खसरा नम्बर 2302 रकबा 0.425 है0 खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.343 है0 खसरा नम्बर 2304 रकबा 1.321 है0 खसरा नम्बर 2305 मध्ये रकबा 0.836 है0 कुल रकबा 2.925 है0 चयनित भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चुकी है। जिसकी खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

पूर्व में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा तैयार नकल खतौनी में कलमी भूल से खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल गलत दर्ज हो गया था जिससे सही अमल दरामद सुदा खतौनी नकल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न – यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि सहायक / अभीन

Lowell
30/7
1/8/16

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

R.K Letter

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

सेवा मे
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील रुद्रप्रयाग

महोदय
श्रीमान जी के संलग्न आदेश के क्रम मे दिनांक 26.4.201[illegible]
को प्राप्त आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के
आदेश संख्या 1425/छब्बीस एल. ए. सी. 2015-16 दिनांक
रुद्रप्रयाग 23-2016 के क्रम मे चोपडा, डुंगरी, चोपडा मोटर
मार्ग निर्माण के लिये क्षति पूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित
भूमि ग्राम डुंगरी के नाप० जेड० ए० सी० खतौनी की श्रेणी 10
[illegible] भूमि के खा० खाता सं० 15 के खाता
अन्य कारणो से क्षतिपूर्ति भूमि के खसरा नं० 2303 रकबा 0.3[illegible]
नं० 2302 रकबा 0.425 हे० खसरा नं० 2305
खसरा नं० 2304 रकबा 1.321 हे० एवं खसरा नं० 2305 [illegible]
[illegible] रकबा 0.836 हे० कुल रकबा 2.925 हे० चयनित
भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद हो चुकी है
किन्तु [illegible] उक्त भूमि खतौनी व आख्या तैयार करते
समय खसरा नं० 2302 रकबा 0.587 हे० खसरा नं० 2303
[illegible] 2304 का रकबा 1.325 हे० एवं खसरा
0.444 हे० खसरा नं० 2304 [illegible] कुल रकबा 2.925 हे० [illegible]
नं० 2305 का रकबा 0.399 हे० [illegible]
गया।
अब मैं खसरा नं० 2302 का रकबा 0.425 हे० 2303 का रकबा
0.343 हे० 2304 का रकबा 1.321 हे० रकबा 2305 [illegible]
0.836 हे० कुल रकबा 2.925 हे० जिसकी नकल [illegible]
पुनः तैयार कर जाँच आख्या के वन विभाग के नाम अमल
दरामद हो चुका है।
अतः जाँच कर आख्या सेवा मे प्रेषित

संलग्न 4 कदद

[illegible]
रा० उ० मा०
चोपडा
27/[illegible]/2016

फोटो प्रति सत्यापित
Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Rudraprayag

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
[illegible]

नकल खतौनी जानिब र० ग्राम डुगरी रा० उ० नि० क्षेत्र चोपड़ा
तहसील व जिला रूद्रप्रयाग
श्रेणी 10 (4) अन्य कारणो से अकृषिक भूमि

खतौनी खाता सं०	खातेदार या काबिज का नाम मय वल्दियत तथा निवास स्थान	मुद्दत काश्त	खसरा नम्बर	क्षे० हे०	माल० सैर	
15	भीटा		1146 1147 1170 1208 1219 1239 से 2302 2303 2304 2305 2321 2322	0.802 0.034 0.822 0.815 0.134 0.014 से 0.425 0.343 1.321 0.855 0.457 0.385		आदेश मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1425/ छब्बीस एस.ए. सी० 2015-16 दिनांक रूद्रप्रयाग जनवरी 23, 2016 के क्रम मे चोपड़ा, डुगरी, चोपड़ा के मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षति पूरक वृक्षा रोपण के लिये चिन्हित सोयम भूमि ग्राम डुगरी के नान जेड ए एक्ट खतौनी की श्रेणी 10(4) अन्य कारणो से अकृषिक भूमि के खा० खाता सं० 15 के खसरा नं० 2302 रकबा 0.425 हे० खसरा नं० 2303 रकबा 0.343 हे० खसरा नं० 2304 रकबा 1.321 हे० एवं खसरा नं० 2305 मध्ये 0.836 हे० कुल रकबा 2.925 हे० चयनित भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद किया। ह० पटवारी चोपड़ा 26-1-2016
		योग	31	14.142		

नकल खतौनी मुताबिक असल के तैयार किया

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

ह० [illegible]
रा० उ० नि०
चोपड़ा
27/1/2016

(3)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा–डुंगरी–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–डुंगरी, श्रेणी 10(4)भीटा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–15 के खसरा संख्या–2302 रकवा–0.425 है0, खसरा संख्या–2303 रकवा–0.343 है0, खसरा संख्या–2304 रकवा–1.321 है0 तथा खसरा संख्या–2305 रकवा–0.855 है0 मध्ये–0.836 है0 कुल 2.925 है0 सिविल भूमि** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–1425 / छब्बीस–एल0ए0सी0(2015–16) दिनांक 23 जनवरी 2016 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक– 1539 / 12-1 दिनांकित पौड़ी 20/02/ 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग** निर्माण हेतु **1.4625 है0** वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम **डुगरी के राजस्व भूमि 2.925 है0** क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है–

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकवा है0 में	अर्जित रकवा है0 में
1425 / छब्बीस एस.ए.सी.2015 दिनांक 23. 01.2016	श्रेणी 10(4) भीटा	15	2302 2303 2304 2305	0.425 0.343 1.321 0.855	0.425 0.343 1.321 0.836
	योग		**4**	**2.944**	**2.925**

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है0 में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम डूंगरी	2.925	4	60cm x 60cm x 75cm	30.327524 N 30.328292 N 30.327194 N 30.32982 N	79.060159 E 79.059568 E 79.059379 E 79.062554 E

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

Amit
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र चोपड़ा
तहसील रूद्रप्रयाग
जिला-रूद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

राम किशोर ...
तहसीलदार रूद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग

राजस्व विभाग
मुहर सहित

उपरोक्तानुसार मयूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित / सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर

वन विभाग
मुहर सहित

(वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि)

प्रमाण पत्र

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/8718/2015 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा डूंगरी चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

प्रमाणित किया जाता है कि चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है ।

Addl. Assistant Engineer
P.D. P.W.D.
Rudraprayag

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

GPS Map Camera
Chopda, Uttarakhand, India
Shaheed Sunil Kandpal Motorway, Chopda, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327524° Long 79.060159°
07/02/2025 10:13 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, भारत
नाम-रहित सड़क, उत्तराखंड 246495, भारत, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.328292° Long 79.059568°
07/02/2025 10:34 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Rudraprayag, Uttarakhand, India
, Uttarakhand 246495, India, Rudraprayag, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327194° Long 79.059379°
07/02/2025 10:01 AM GMT +05:30

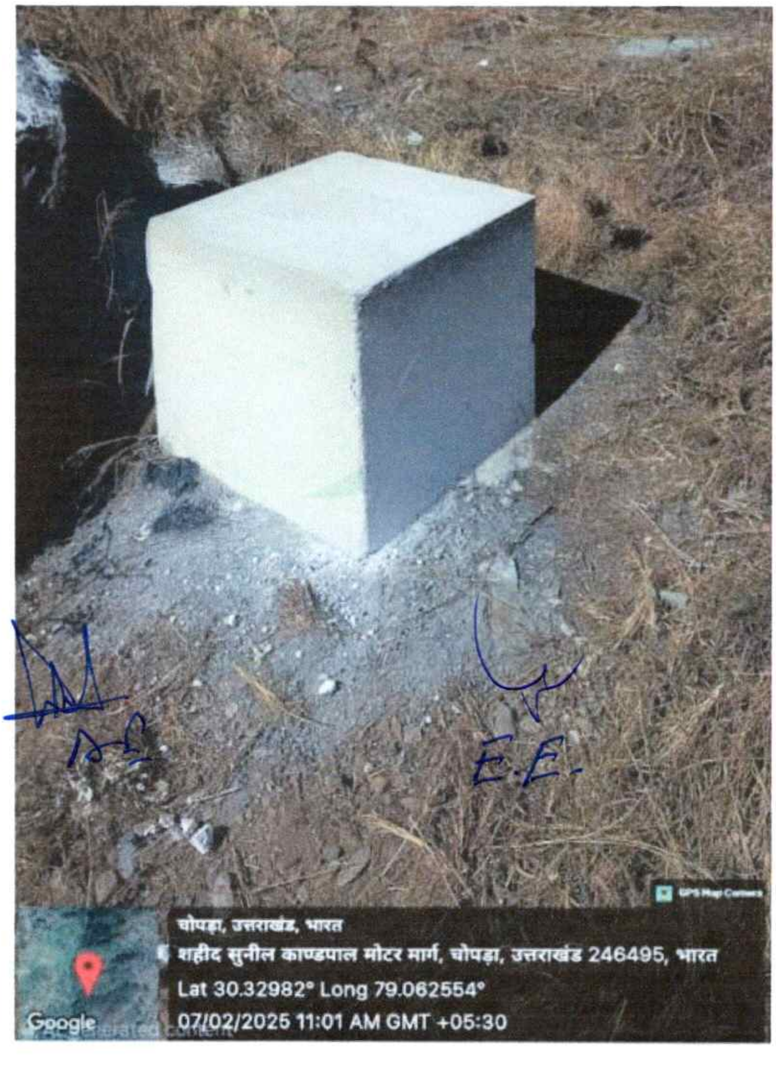
GPS Map Camera
Google
चोपड़ा, उत्तराखंड, भारत
शहीद सुनील काण्डपाल मोटर मार्ग, चोपड़ा, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.32982° Long 79.062554°
07/02/2025 11:01 AM GMT +05:30

E.E.

		No (New)	PRINCIPLE					
FP/UK/ROAD/10372/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10372/2015) [illegible] Margaon Talla Motor Road under State Sector	ROAD103722015236	6110372236	27 Jul 2015	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV 258546/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/ Total : 258546/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :15 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jun 2023 Transaction Date :26 Jun 2023	(../writereaddata/Fundpdf/[illegible]_FPUKROAD103722015_[illegible] Fund_Demanded_ Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD103722015236)
FP/UK/ROAD/10936/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10936/2015) Construction of Kutmun Pull to Uchna-Dhechal Motor Road	ROAD109362015565	6110936565	03 Nov 2015	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 603477/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 603477/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jun 2023 Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231745343506_FPUKROAD109362015_User_Fund_Demar Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD109362015565)
FP/UK/ROAD/11825/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11825/2015) Construction of Chenagaad-Ghanghasu (Bangar) Motor Road under State sectore	ROAD118252015366	6111825366	08 Apr 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1269655/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1269655/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jun 2023 Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231746388967_FPUKROAD118252015_User_Fund_Deman Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD118252015366)
FP/UK/ROAD/8718/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8718/2014) Choora-Dungri-Chapar Motor Road (State Sector)	ROAD87182014480	6187180480	02 Nov 2015	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 509257/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 509257/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jun 2023 Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040320231744221903_FPUKROAD87182014_User_Fund_Demande Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD87182014480)
FP/UK/ROAD/9719/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9719/2015) construction of khuzir bend chowki basil & extension of khuzir bend chowki basil to tamind saterakhal	ROAD97192015432	6197190432	16 Apr 2015	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 344728/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 344728/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :16 Mar 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jun 2023 Transaction Date :26 Jun 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150320231347225053_FPUKROAD97192015_User_Fund_Demande Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD97192015432)

(4)

फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Al. Rudraprayag

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– चोपडा
तहसील अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 1.4625 हे0** वन भूमि को लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत – डुंग्री – द्वारा दिनांक 03/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वनवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ——डुंग्री—— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम [illegible] अधिकारी

ग्राम पंचायत डुंग्री
ह0 [illegible]
दि0 03.12.2014
ह0
वि0ख0 अगस्त्यमुनि

नोट –यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

दिनांक 03/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....डुंग्री..........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री हनुमन्त सिंह कुंवेला	[illegible]
2-	" विशाल सिंह कुंवेला	Vishal Singh
3-	" रमेश चन्द्र	R Singh
4-	" भारत भूषण	[illegible]
5-	" अनुसूया सिंह	अनुसूया सिंह
6-	" हिम्मत सिंह	H Singh
7-	" लक्ष्मण सिंह	Laxman
8-	" दिगपाल सिंह	दिगपाल
9-	श्रीमती यशोदा देवी	यशोदा देवी
10-	" उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
11-	" रजनी देवी	रजनी देवी
12-	" दीपा देवी	दीपा देवी
13-	श्री कमल सिंह	K Singh
14-	" राजेन्द्र सिंह	[illegible]
15-	" तोता सिंह	तोता सिंह
16-	" विक्रम सिंह	[illegible]
17-	" प्रकाश सिंह	[illegible]
18-	" प्रेम सिंह	P Singh
19-	" लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
20-	" शूरवीर सिंह	[illegible]
21-	" सत्येन्द्र सिंह	Saty
22-	" हेमन्त कुंवेला	हेमन्त

प्रति हस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

~~संलग्न है~~

प्रधान ग्राम पंचायत डुंग्री
ह० बलदेव लाल
ह0/- दि० 3/12/2014
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) (0.0000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.4625 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री चतरसिंह चौहान उप जिलाधिकारी —— रूद्रप्रयाग —— अध्यक्ष

श्री अजय शर्मा 2– / श्री सोहन लाल —— उप प्रभागीय वनाधिकारी —— रूद्रप्रयाग —— सदस्य

3– श्री [illegible] भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी– रूद्रप्रयाग– सदस्य / सचिव

4– श्री शिव लाल —— बी0डी0सी0 क्षेत्र —— घारकोट —— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना हेतु, 1.4625 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा–डूंग्री–चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 1.4625 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ....
जनपद ....

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
प्र0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 49 Dated-19-03-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.4625 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Chopra-Dungri-Chapar Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Temna, Pali,, Dungri, Semalsari** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav
(Dr. Raghav Langer)

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०खं०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 19.03.2015 at time 2:00PM...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.4625 hect** for the Construction of **Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (2.775 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 19/03/2015

Raghav

(Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag